



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53932

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 8583 वर्ष 2026

रामजनम

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : शुभम कुमार द्विवेदी, विवेक कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. इसमें पारित किए जाने हेतु प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, विपक्षी को नोटिस जारी करने तथा इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। तथापि, यदि विपक्षी आदेश से व्यथित अनुभव करता/करती है, तो आदेश में उपांतरण/फेरबदल की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याची द्वारा मांगा गया मूल अनुतोष प्रत्यर्थी संख्या 2/अपर आयुक्त, प्रशासन/वाराणसी मंडल, वाराणसी को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत दाखिल पुनरीक्षण/अपील संख्या 1326/2025 (कम्प्यूटर वाद संख्या

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सी202514000001326, रामजनम बनाम दशरथ और अन्य) को शीघ्रता से निस्तारित करने हेतु निदेशित करना है।

4. यह मामला अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबे समय से लंबित है और पर्याप्त समय पहले ही व्यतीत हो चुका है किंतु आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 2/अपर आयुक्त, प्रशासन/वाराणसी मंडल, वाराणसी को यह निदेश देते हुए निस्तारित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से शीघ्रता से तथा कड़ाई से विधि के अनुसार पूर्वोक्त पुनरीक्षण/अपील का निस्तारण करे, किंतु अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, जब तक कि कोई विधिक बाधा विद्यमान न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

मार्च 16, 2026

सुषमा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।